भाग-I

1. **कार्यालय जिला विकास अधिकारी देहरादून** के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखा अभिलेखों की संप्रेक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री दुष्यंत सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा श्री वी. पी. सिंह,लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में दिनांक 01 सितम्बर 2018 से 10 सितम्बर 2018 तक संपादित की गयी थी।

2. **परिचयात्मक:**कार्यालयजिला विकास अधिकारी देहरादून, जनपद-देहरादूनकी लेखापरीक्षा श्री के पी.सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री बरुण शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, स.ले.प.अ.(त) द्वारा श्री ए.के.भारतीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक **15.12.2020** से **21.12.2020** तक संपादित की गई थी जिसमें**04/2018** से **03/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

3. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र:**----------**

(ii) जनसंख्या: **----------**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या:**------**

(iv) आयोजित बैठकों की संख्या:**------**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:**------**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **28**

(vii) इकाई की संपत्तियाँ:**----------**

(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट:**कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय जिलाविकास अधिकारी, जनपद-देहरादून को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्ययका विवरण

समस्त धनराशि (`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2017-18	0	1216.78	213.29	213.29	133.57	225.93				1124.42
2018-19	0	1124.42	201.73	201.73	8744.62	8492.85				1376.20
2019-20	0	1376.20	216.17	216.17	7034.60	5765.39				2645.41
कुल योग			**631.19**	**631.19**	**15912.79**	**14484.17**				

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालयजिला विकास अधिकारी, जनपद-देहरादून का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं केअंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरानप्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2018-19	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0	7.43	7.43	5.14	2.29
2019-20	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	2.29	8.47	10.76	10.42	0.34
2018-19	मनरेगा	5.01	4575.86	4580.87	4575.86	5.01
2019-20	मनरेगा	5.01	2758.69	2763.70	2758.69	5.01

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय जिला विकास अधिकारी देहरादून, जनपद-देहरादून का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण (धनराशि `लाख में)

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	विधायक निधि	1205.11	0.00	1205.11	92.36	1112.75
2	एकल ग्राम पेयजल योजना	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25
3	जिला योजना - सामुदायिक विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दीनदयाल आवास योजना	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42
5	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मेरा गाँव मेरी सड़क योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	मनरेगा	5.01	133.57	138.58	133.57	5.01
	कुल योग	**1216.78**	**133.57**	**1350.35**	**225.93**	**1124.42**

कार्यालय जिला विकास अधिकारी देहरादून, जनपद-देहरादून का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण (धनराशि `लाख में)

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	विधायक निधि	1112.75	4138.41	5251.16	3884.28	1366.88
2	एकल ग्राम पेयजल योजना	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25
3	जिला योजना - सामुदायिक विकास	0.00	22.92	22.92	22.05	0.87
4	दीनदयाल आवास योजना	6.42	0.00	6.42	5.52	0.90
5	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.00	7.43	7.43	5.14	2.29
6	मेरा गाँव मेरी सड़क योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	मनरेगा	5.01	4575.86	4580.87	4575.86	5.01
	कुल योग	**1124.42**	**8744.62**	**9868.05**	**8492.85**	**1376.20**

कार्यालय जिला विकास अधिकारी देहरादून, जनपद-देहरादून का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण (धनराशि `लाख में)

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	विधायक निधि	1366.88	4163.15	5530.03	2943.53	2586.50
2	एकल ग्राम पेयजल योजना	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25
3	जिला योजना - सामुदायिक विकास	0.87	60.00	60.87	52.50	8.37
4	दीनदयाल आवास योजना	0.90	0.00	0.90	0.25	0.65
5	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	2.29	8.47	10.76	10.42	0.34
6	मेरा गाँव मेरी सड़क योजना	0.00	44.29	44.29	0.00	44.29
7	मनरेगा - योजना हेतु	5.01	2758.69	2763.70	2758.69	5.01
	कुल योग	**1376.20**	**7034.60**	**8410.80**	**5765.39**	**2645.41**

लेखाओं पर टिप्पणी:

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है ।

(ii) इकाई द्वारा मुख्य रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है ।

भाग–2(ब)

प्रस्तर 1:- विधायक निधि के प्रशानिक मद की धनराशि रू 247 लाख निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 2023 एवं दिनॉक 05.12.2017 के अनुसार विधायक निधि के मार्गदर्शी–सिद्धान्तों विषायक एकीकृत परिपत्र निर्गत किया गया था जिसमें प्रस्तर सं. 7.1 प्रशासनिक व्यय के बारे में यह उल्लेखित किया गया था कि विधायक निधि के सफल कियान्वन अनुश्रवण मुल्यांकन एवं समाजिक सम्प्रेक्षण हेतु नोडल विभाग द्धारा प्रशासनिक व्यय हेतु विधायक निधि की जारी धनराशि का 2 प्रति शत वार्षिक व्यय किया जायेगा।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी जनपद–देहरादूनके विधायक निधि के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि विगत तीन वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 मेंप्रशासनिक मद में क्रमशः धनराशि रू 4125 लाख रू 4125 लाख एवं रू 4125 लाख (अर्थात कुल रू 12375लाख) विभाग को प्राप्त हुआ था जिसका 2 प्रति शत 247 लाख होता है। जिसे उक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 2023 एवं दिनॉक 05.12.2017 के अनुसार के प्रशानिक मद विधायक निधि के सफल कियान्वन अनुश्रवण मुल्यांकन एवं समाजिक सम्प्रेक्षण हेतु व्यय किया जाना चाहिए था किन्तु विभाग द्धारा सम्पूर्ण व्यय विधायक निधि के निर्माण कार्यो पर व्यय कर दिया गया था जो कि उक्त शासनादेश के दिशा–निर्देशों के विपरीत था।

लेखा परीक्षा द्धारा इंगित किये जाने पर विभाग द्धारा ऑकडो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि उक्त प्रशासनिक मद की धनराशि को निर्माण**विधायक निधि**कार्यों पर व्यय कर दिया गया हैं। विभाग द्धारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 2023 के प्रस्तर सं. 7.1 के अनुसार उक्त धनराशि विधायक निधि के सफल कियान्वन अनुश्रवण मुल्यांकन एवं समाजिक सम्प्रेक्षण पर व्यय किया जाना चाहिए था जिससे लोकहित में योजना को सफलतापूर्वक कियान्वित किया जा सकें।

अतःप्रशानिक मद की धनराशि रू 247 लाख निर्माण कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रकारण **उच्चाधिकारियों**के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो-ब</u>

प्रस्तर 2:- मनरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय मद में शासनादेश का पालन न करना एवं रु.- 23.28 लाख का अनियमित व्यय किया जाना।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना मनरेगा के दिशा निर्देश 2013 के बिन्दु संख्या 12.5.2 अनुसार राज्यों/विकास के /लिए मानव संसाधन बढ़ाने और क्षमता संघ शासित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए केंद्रीय सरकार वित्तीय वर्, में प्रशासनिक व्यय के रुप में मनरेगा के कुल व्यय का 06 प्रतिशत में उल्लेखित अनुमेय 12.5.5 केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त इस राशि से बिन्दु संख्या उपलब्ध करती हैं। कार्यकलाप ही कराये जा सकते है, जो मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो।

12.5.6 प्रशासनिक व्यय के तहत खर्च मंजूरी नहीं है

मनरेगा की प्रशासनिक लागत के अंतर्गत निम्नलिखित मदों को किसी भी स्थिति में बुक नहीं किया जाना चाहिए:

1. वाहनों की खरीद तथा पुराने वाहनों की मरम्मत
2. सिविल कार्य

कार्यालय में संचालित मनरेगा योजना के प्रशासनिकमद से संबन्धित व्यय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के अभिलेख यथा फ़ाइल, बिल- वॉउचरएवं स्टॉकरजिस्टर क्रय की गयी सामग्री से संबन्धित अभिलेख जांच में पाया गया की कार्यालय में रु-16.00 लाख का सिविल कार्य/ मरम्मत कराया गया जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है। कार्यालय द्वारा किराए पर लिए वाहन से संबन्धित उपलब्ध कराई गयी सूचना एवं बिल वाउचर की जांच में प्रकाश में आया कि वहाँ पर समस्त व्यय मानरेगा के प्रशासनिक मद से किया जा रहा है। जबकि वाहन का उपयोग कार्यालय में संचालित समस्त शासकीय कार्य हेतु किया जा रहा है। आगे जांच में यह भी पाया गया के वर्ष 2018-19 में कार्यालय हेतु विद्युत बिल रु.42,024 का भुगतान किया गया। जो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है|जांच मे यह भी पाया गया की कार्यालय द्वारा अन्य शासकीय कार्यों के लिए भी क्रय किया गया है|

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं सिविल कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। मोबाइल क्रय, नानाजी देशमुख की जयंती के सम्बन्ध में भी इकाई द्वारा अवगत कराया कि भविष्य में इस सम्बन्ध में ध्यान रखा जाएगा। वाहन के सम्बन्ध में भी इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि वाहन का उपयोग मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है।

इकाई स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

वर्ष 2017-18

क्र0	मद	वर्ष	उद्देश्य	धनराशी
1	शासकीय सिविल कार्य/ मरम्मत हेतु	2017-18	शासकीय कार्य हेतु	15,00,000/-
2	भारत फर्नीचर	2017-18	शासकीय कार्य हेतु क्रय	43,008/-
3	LG रेफ्रिजरेटर	2017-18	शासकीय कार्य हेतु क्रय	14,800/-
4	SamsunggalaxyC7 pro	2017-18	शासकीय कार्य हेतु क्रय	24,900/-
5	कार्यालय व्यय	2017-18	शासकीय कार्य हेतु क्रय	87,966/-
6	नाना जी देशमुख की जयंती	2017-18	शासकीय कार्य हेतु क्रय	55,999/--
	कुल			**1726673/-**

वर्ष 2018-19

क्र0 स0	मद	वर्ष 2018-19	उद्देश्य	धनराशी
1	विद्युत बिल	2018-19	शासकीय कार्य हेतु क्रय	42,024/-
2	HP प्रिन्टर, कम्प्युटर	2018-19	शासकीय कार्य हेतु क्रय	75,950
3	भारत फ़र्निचर	2018-19	शासकीय कार्य हेतु क्रय	69,620
4	सिविल कार्य/मरम्मत	2018-19	शासकीय कार्य हेतु क्रय	1,00,000
5	कम्प्युटर रिपेयर	2018-19	शासकीय कार्य हेतु क्रय	16989
	कुल			**3,04,583/-**

वर्ष 2019-20

क्र0 स0	मद	वर्ष	उद्देश्य	धनराशी
1	M/Sreliablereprographics	2019-20	शासकीय कार्य हेतु क्रय	90,000/-
2	Samsungmobile	2019-20	शासकीय कार्य हेतु क्रय	20,000/-
3	भारत फ़र्निचर	2019-20	शासकीय कार्य हेतु क्रय	11,564/-
4	Dreamcraftinfosolution	2019-20	शासकीय कार्य हेतु क्रय	56,800/-
5	Audiosystem- 3F	2019-20	शासकीय कार्य हेतु क्रय	76,908/-
6	Mobilephone	2019-20	शासकीय कार्य हेतु क्रय	32,999/-
7	Heater	2019-20	शासकीय कार्य हेतु क्रय	8,650/-
	कुल			**2,96,921/-**

<u>भाग-दो-ब</u>

प्रस्तरः-3 शासन आदेश का पालन न करना रु- 5 लाख की धनराशि कई वर्षों से उपयोग न कर अवरुद्ध रखा जाना।

BUDGET MANUAL UTTARAKHAND(First Edition) Finance Department Government of Uttarakhand 2012186. Timely utilization of Central Government assistance/ grants: Since the process of funding is that of reimbursement through the channel of ACA, sufficient budget provision is to be made. **The implementation of the project should be started as per the time schedule.**

92. Responsibilities of Controlling Officers(v) to surrender appropriations or portions thereof which are not likely to be required during the year as soonas lapses or savings are foreseen;

कार्यालय जिला विकास अधिकारीदेहरादून से संबंधी अभिलेखो कि जांच में पाया गया की प्रशासनिक मद में शासन से प्राप्त धनराशि रु-5 लाखखाता सं० 3968000100185371 मेंवर्ष 2015-16से वर्तमान तक इकाई के पास अवरुद्ध पड़ी हुईहै तथा शासन को वापस नहीं की गई |जोकि राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है|

उपरोक्त प्रकरण की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं स्वीकार किया कीबजट को समर्पित करने के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई एवं धनराशि खाते में अवरुद्ध रखने का कोई शासन आदेश नहीं है एवं भविष्य में ध्यान रखा जायेगा |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकियोजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि वर्ष 2015-16 से इकाई के पास अवरुद्ध पड़ी हुई है तथा इकाई द्वारा शासन को वापस करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई | यदि कार्यालय द्वारा समय से धनराशि शासन को समर्पित की होती तो धनराशि का किसी और योजना में प्रयोग किया जा सकता था |

अतःधनराशि रु- 5 लाखकई वर्षों से इकाई के खाते में अवरुद्ध रखने का प्रकरण उच्च उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II(ब)

प्रस्तर 4:- जिला योजना के मूल उद्देश्यों एवं सचिव द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता के विपरीत अन्य कार्यों पर अनियमित व्यय रु. 74.55 लाख।

उत्तराखण्ड सचिव अमित सिंह नेगी ने अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 284/125/रा.यो.आ./2018-19 दिनांक 22 फरवरी 2019 के द्वारा जिला योजना में प्रावधानित धनराशि के त्वरित व आवश्यकता अनुरूप व्यय हेतु समस्त विभागाध्यक्ष को निर्देश निर्गत किए कि आपदा से क्षतिग्रस्त छोटे-छोटे एवं कम लागत के कार्य जैसे छोटी पुलिया, पेयजल योजनाओ कि मरम्मत इत्यादि कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जिला योजना में धनराशि आवंटित की जाए। साथ ही निर्देश निर्गत किए कि राज्य में विभिन्न योजनाए संचालित है, इसके बावजूद भी कुछ ग्राम/क्षेत्र विकासीय कार्यों से वंचित रहे जा रही है। इस हेतु आवश्यक है कि जनपद पर Gap Analysis की जाए तथा जिला योजना में उन क्षेत्र/ग्रामों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तथा ऐसे ग्राम जहां पर कोई योजना संचालित नहीं है ऐसे ग्रामो को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को स्व्यं Gap Analysis कर जिला योजना का निर्माण करना चाहिए। जिला योजना वर्ष 2018-19 की संरचना हेतु सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु सं.16 में भी स्पष्ट है कि जिला योजना में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों के छोटे अवस्थापना निर्माण, मरम्मत/ सुधार के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वागीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना है।

सामुदायिक विकास योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि वर्ष 2018-19 में स्वीकृत धनराशि रु. 22.92 लाख के सापेक्ष रु. 22.05 लाख एवं 2019-20 में स्वीकृत धनराशि रु. 60.00 लाख के सापेक्ष रु. 52.50 लाख व्यय करते हुए समस्त कार्य विकास भवन एवं विकास खण्डो में सी.सी.टी.वी., फर्नीचर क्रय एवं निर्माण कार्य कराये गए है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कराये गए कार्यों में कोई भी कार्य निर्गत किए गए निर्देशों के अनुसार पिछड़े/अति पिछड़े क्षेत्र में नहीं थे जिससे ग्रामीण जीवन के सर्वागीण विकास तथा समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। साथ ही प्रकाश में आया कि जिला योजना का निर्माण करने

हेतु कोई भी Gap Analysis तैयार नहीं किया गया है जिससे कि उक्त योजना से संबन्धित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं स्वीकार किया कि उक्त योजना हेतु कोई भी Gap Analysis तैयार नहीं किया गया है। इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि Gap Analysis तैयार न करने की स्थिति में जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य संपादित कराये गए है। इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि देहरादून जनपद के अंतर्गत विकास खण्ड एवं विकास भवन पिछड़े/ अति पिछड़े क्षेत्र में नहीं आते है एवं ग्रामीण स्तर के सर्वगीण विकास हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है।

इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है एवं उक्त योजना के अंतर्गत कराये गए कार्य सचिव द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत है।

अत: **जिला योजना के मूल उद्देश्यों एवं सचिव द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता के उलट अन्य कार्यों पर अनियमित व्यय रु. 74.55 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**

भाग-II(ब)

प्रस्तर 5:- मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाग्री मद में अमुमान्य 40 प्रतिशत से अधिक व्यय कर भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाना।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण एवं स्थानीय लोगो को रोजगार उपलब्ध कराना है जिससे रोजगार की तलाश में लोगो के शहर की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सके।

मनरेगा के दिशा निर्देश 2013 के बिन्दु संख्या 7.4 के अनुसार मजदूरी लागत एवं सामाग्री लागत का अनुपात अधिनियम मे निर्धारित 60:40 के न्यूनतम अनुपात से कम नहीं होना चाहिए।

जिला विकास अधिकारी, देहरादून के अंतर्गत संचालित मनरेगा (MGNREGA) योजना से संबन्धित Financial Performance Under MGNREGA during the Financial year की जांच में निम्न सूचना प्रकाश में आयी:

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	**जनपद का नाम**	**मनरेगा के अंतर्गत कराये गए कार्यो पर कुल व्यय**	**मजदूरी पर व्यय**	**सामाग्री,कुशल/ अर्धकुशल मजदूरों पर व्यय**	**सामाग्री,कुशल/अर्धकुशल मजदूरों पर व्यय का प्रतिशत**
2017-18	देहरादून	5171.10	2865.09	2306.01	44.59
2018-19	देहरादून	4494.50	2590.74	1903.76	42.36
2019-20	देहरादून	2592.02	1737.02	855.00	32.99

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2017-18 में सामग्री मद पर व्यय कुल व्यय का 44.59 प्रतिशत तथा वर्ष 2018-19 में 42.36 प्रतिशत है जोकि अनुमान्य प्रतिशत 40 से क्रमश: 4.59 एवं 2.36 प्रतिशत अधिक है।

चूंकि मनरेगा योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगो को रोजगार उपलब्ध कराना है जिससे शहरों की ओर होने वाले पलायन हो रोका जा सके। परन्तु सामग्री मद पर अनुमान्य प्रतिशत 40 से अधिक व्यय किए जाने के फलस्वरूप योजना का उद्देश्य प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं अवगत कराया किविशेष प्रकृति वाले कार्यों को लिए जाने के कारण 60:40 का अनुपात बढ़ जाता है। 2018-19 में हुए व्यय के सम्बन्ध में अवगत कराया कि विगत वर्षों कि अपूर्ण योजनाओ के सामग्री मद में भुगतान के कारण अनुपात बिगड़ जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत नहीं कराया गया कि किन कार्यों के कराये जाने के कारण 60:40 का अनुपात से अधिक सामाग्री मद में व्यय हुआ

साथ ही इकाई द्वारा विगत वर्ष के भुगतान के सम्बन्ध में भी इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि तालिका में दर्शाया गया व्यय विगत वर्ष की देयता को कम करते हुए एवं चालू वर्ष की देयता को जोड़ते हुए प्रदर्शित किया गया है। अर्थात चालू वर्ष में प्रारम्भ हुए कार्यों के सापेक्ष होने वाले वास्तविक भुगतान के आधार पर तालिका प्रदर्शित की गयी है।

अत: **मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री मद में अमुमान्य 40 प्रतिशत से अधिक व्यय कर भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**

STAN

प्रस्तर 1: धनराशि रू 11564500 लाख विधायक निधि के पी.ए.एल. खाता में अवरूध पडा रहना तथा विभाग की शिथिलता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण धनराशि रू 2.02लाख 2015–16 से उक्त खाता से निरकरण नहीं किया जाना।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी देहरादून बजट ऑवटन तथा व्यय से सम्बान्धित लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में जिला अधिकारी जनपद–देहरादून के निम्नलिखित आदेश के द्धारा शासन से अन्य विभागों की ऑवटित धनराशि कार्यालय जिला विकास अधिकारी देहरादून के पी.एल.ए. खाता स MLA Developmen Fund (8448-00-120-00-05-00) में रखा गया था जिसका विवरण इस प्रकार है–

वर्ष	जिला अधिकारी जनपद–देहरादून के आदेश सं. व दिनॉक	विभाग का नाम	पी..एल.ए. खाते/ में धनराशि	अभ्युक्ति
2018–19	2880 / 22.03.2019	जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	14950000	आदेश संलगन
	2881 / 22.03.2019	जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	2912000	आदेश संलगन
2019–20	2768 / 11.03.2020	जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	5340500	आदेश संलगन
	3601 / 24.03.2020	जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	11564500	आदेश संलगन
	1790 / 25.03.20	जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून	8110500	आदेश संलगन
	2454 / 26.03.2020	जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून	5428000	
	2455 / 26.03.2020	जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून	19500000	
	2463 / 20.03.2020	जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून	2850000	
	2464 / 31.03.2020	जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून	20393756	

आगे **जांच** में पाया गया कि उक्त धनराशि जिला अधिकारी जनपद–देहरादून के निम्नलिखित आदेश के द्धारा अन्य विभागों को प्रेषित का दिया गया था जिसका विवरण इस प्रकार है–

वर्ष	जिला अधिकारी जनपद–देहरादून के आदेश सं. व दिनॉक	विभाग का नाम	पी.एल.ए. खाते/ में आवंटित धनराशि	अभ्युक्ति
2020. –20.21	15.09.2020	जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	14950000	आदेश संलगन
	15.09.2020	जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	2912000	आदेश संलगन
	15.09.2020	जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	5340500	आदेश संलगन
	294 / 30.06.2020	जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून	13538500	आदेश संलगन
	201 / 11.06.2020	जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून	223550000	आदेश संलगन
	202 / 1.06.2020	जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून	9890000	आदेश संलगन
	295 / 30.06.2020	जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून	10503756	आदेश संलगन

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष के अन्त में शासन से ऑवटित धनराशि को व्यपगत होने से बचानें के लिए वित्तीय नियम के विपरीत जिला अधिकारी के आदेश से अन्य विभागों की धनराशि को जिला विकास आधिकारी के पी.ए.एल. खाता मे रख दिया गया था फिर पी.ए.एल. खाता से जिला अधिकारी के आदेश से रू 11564500 लाखको छोडकर अन्य समस्त धनराशि सम्बन्धित विभागो को प्रेषित कर दिया गया था।

तथा 2.02 लाख 2015–16 से पी.ए.एल खाता में पडा हुआ है। यह धनराशि किस विभाग की है इकाई को कोई पता नही है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा ऑकडो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि उक्त धनराशि जिला अधिकारी के आदेश से उक्त खाता में रखी गई थी और जिला अधिकरी के ही आदेश से धनराशि रू 11564500 लाखको छोडकर अन्य समस्त धनराशि कोसम्बन्धित विभागों को प्रेषित कर दिया गया था। आगे बताया कि धनराशि**रू** 2.02 लाख किस विभाग की किसके आदेश से स्थानानान्तरित होकर पी.ए.एल खाता मे आयी है उसका पता विभाग को नहीं है। विभाग का उतर आमान्य है क्योंकि उक्त धनराशि को मार्च माह के अन्त में व्यपगत होनें से बचाने के लिए बिना जिला विकास अधिकारी के संस्वीकृति से`विधायक निधि की पी.ए.एल.खाता में रखना अनौचित्यपूर्ण था क्योंकि विधायक निधि की पी.ए.एल.खाता में उसी योजना की धनराशि रखी जानी चाहिए थी न कि दूसरे विभाग की अन्य योजना का तथा धनराशि**रू** 2.02 लाख का निराकरण लेखा परीक्षा तिथि(दिसंबर 2020) नहीं किया गया था।

अतःधनराशि रू 11564500 लाख विधायक निधि के पी.ए.एल. खाता में अवरूध पडा रहना तथा विभाग की शिथिलता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण धनराशि 2.12लाख 2015–16 से उक्त खाता से निरकरण नहीं किये जाने का प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2:-जनपद में संचालित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के 18 एवं मनरेगाके 2844 कार्य अपूर्ण रहना |

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था, अप्रैल 2009 में संचालित सभी ग्रामीण पेयजल योजनाओ को एकीकृत करके ग्रामीण एकल पेयजल योजना का नाम दिया गया था जो वर्तमान में संचालित है |
योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराना उनको,भोजन बनाने हेतु शुद्ध जल उपलब्ध करना,तथा पालतू पशुओ को पीने का पानी उपलब्ध कराना था |
कार्यालय जिला विकास अधिकारी देहरादून की वर्ष 2018-19 एवं 2019-20के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ की गयी 18 योजनाये (सूची सलग्न)लेखापरीक्षा तिथि दिसम्बर-2020 तक अपूर्ण थी,जबकि इन योजनाओ की पूर्ण करने की अवधि तीन माह थी,इस प्रकार ये योजनाये चार वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पायी थी |

ये योजनाये चार वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गयी थी, इन योजनाओ हेतु शासन से राशि रु, 77.76 लाख आवंटित तथा राशि रु.38.07 लाख खर्च की जा चुकी है,फिर भी इन योजनाओ की सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिल रही है |

साथ ही मनरेगा योजना के लेखा अभिलेखो की जाँच में पाया गया वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के 2844 कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक भी अपूर्ण थे |

इकाई के संज्ञान में लानेपर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि सभी अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु खंड विकास अधिकारिओ को निर्देशित किया जायेगा, तथा योजनाओ को पूर्ण करवाए जाने की प्रभावी कार्यवाही की जाएगी |
इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, उक्त कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए था |
अंत: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना से सम्बंधित 18 एवं मनरेगा से सम्बंधित 2844 कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्च अधिकारिओ के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-III

(क) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण: -

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
68/2007-08	प्रस्तर 01 से 01	शून्य	शून्य
149/2008-09	प्रस्तर 01 से 01	प्रस्तर 01 से 03	शून्य
108/2014-15	शून्य	प्रस्तर 01 से 02	शून्य
स्था.नि./प्रतिवेदन सं.-17/2017-18	शून्य	प्रस्तर 01 से 07	शून्य

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई ।	इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका । अतः समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है ।	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-----

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला विकास अधिकारी देहरादून, जनपद-देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			से	**तक**
01.	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय	जिला विकास अधिकारी	02.10.2016	16.06.2020
02	सुशील मोहन डोभाल	जिला विकास अधिकारी	17 .06 .20	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला विकास अधिकारी देहरादून, जनपद- देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I